संख्या-307/2024/आई/720445/23-1-24-23-1002(002)/34/2024

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ:: दिनांक 16 अगस्त, 2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत 01 नये कार्य हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-131नि0/138-01नि0/गोण्डा/2023-24, दिनांक 06.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक 5054 मद में शासनादेश संख्या-138/2024/आई/522071/ 23-1-24/002-23-1002(002)/ 34/2024, दिनांक 16.03.2024 द्वारा जनपद गोण्डा के स्वीकृत 01 कार्य "जनपद गोण्डा में दर्जीकुंआं मनकापुर रोड से शिवनगर रेलवे क्रासिंग होते हुए गप्पीगंज चौराहा से गोण्डा उतरौला मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (कुल लम्बाई 13.20 कि0मी0 एवं स्वीकृत लागत रू0 2094.39 लाख)" के संबंध में अवगत कराया गया है कि त्रुटिवश आगणन प्रेषित करते समय अग्रसारण पत्र में प्रा0खं0, लो0नि0वि0, गोण्डा अंकित हो गया था। अतः उक्त शासनादेश में प्रा0खं0, लो0नि0वि0, गोण्डा के स्थान पर नि0खं0-1, लो0नि0वि0, गोण्डा के नाम से संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-138/2024/आई/522071/ 23-1-24/002-23-1002(002)/ 34/2024, दिनांक 16.03.2024 द्वारा स्वीकृत जनपद गोण्डा का उपर्युक्त कार्य "जनपद गोण्डा में दर्जीकुंआं मनकापुर रोड से शिवनगर रेलवे क्रासिंग होते हुए गप्पीगंज चौराहा से गोण्डा उतरौला मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (कुल लम्बाई 13.20 कि0मी0 एवं स्वीकृत लागत रू0 2094.39 लाख)" हेतु उक्त शासनादेश में अंकित तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित खण्ड/जनपद का नाम "प्रा0खं0 गोण्डा के स्थान पर "निर्माण खण्ड-1 गोण्डा" पढ़ा व समझा जाय।

3- विषयगत शासनादेश संख्या-138/2024/आई/522071/23-1-24/002-23-1002(002)/34/2024, दिनांक 16.03.2024 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश में अंकित कार्य की लागत एवं अन्य तथ्य व विवरण तथा शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-307/2024/आई/720445**/23-1-24-23-1002(002)/34/2024, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

3- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

4- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

6- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

7- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

8- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8

9. नोडल अधिकारी(आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम)**,** लोक निर्माण विभाग**,** उ0प्र0 शासन।

10. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।